संख्या– 195/2018/1296/नौ–5–2018–119सा/2015

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांक 27 अप्रैल, 2018

विषय:–वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु 16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या:–228यू0टी0डी0/17–99यू0टी0डी0/16 दिनांक 21.03.2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख के सापेक्ष व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मद में रू0 7.50 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय परिवहन निदेशालय में विधिक/विशेषज्ञ सेवा का व्यय, परामर्शदात्री की फीस तथा संविदा पर रखे जाने वाले विशेषज्ञों एवं स्टाफ की सेवा प्रदाता एजेन्सी से संविदा पर ली जाने वाली सेवाओं के वर्ष 2018–19 में व्यय के भुगतान के लिए किया जाएगा

(2) उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैक/पोस्ट आफिस में नही रखा जायेगा तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के लिए प्रतिमाहों की वास्तविक आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यायवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2– इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकाय योजनाएं–800–अन्य व्यय–07–नगरीय परिवहन निदेशालय–16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2018/बी—1—375/दस—2018—231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या— **195/2018/1296(1)/नौ—5—2018—119सा/2015, तददिनांक 2018।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
   महालेखाकार(लेखापरीक्षा अनुभाग) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त (ई—8) अनुभाग/वित्त (आय—व्ययक)अनुभाग—1
7. सहायक निदेशक(लेखा), नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. सुपर यूजर, नगर विकास/कम्प्यूटर सेल
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।